दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 1993 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई 1993 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष **श्री गुलाम सरवर** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
दिनांक 27 जुलाई, 1993 ई०

युगल किशोर प्रसाद
सचिव
बिहार विधान-सभा

तारांकित प्रश्नोत्तर

राशि का विचलन

"क" 891. श्री ब्रज किशोर नारायण सिह : क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार ने निदेशानुसार राज्य के माध्यमिक विद्यालयो में वर्ष 1990-91 में 120 पद एवं 1991-92 में 324 पद (व्यावसायिक शिक्षा अनुदेशक) का सृजन सरकार द्वारा किया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा अनुदेशकों के पदों के सृजन के अनुरूप उन पर खर्च होनेवाली राशि वर्ष 1990-91 से ही केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में शिक्षा विभाग प्राप्त करता रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि कुल सृजित व्यावसायिक शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति दिनांक 29 जून, 1993 को विभाग द्वारा की गयी है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 तक कितनी राशि प्राप्त हुई एवं उक्त राशि का अनियमित विचलन किस पदाधिकारी के आदेश से किया गया ?

डा० रामचन्द्र पूर्वे : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वित्तीय वर्ष 1990-91 से लेकर 1992-93 तक अनुदेशकों के वेतन आदि के लिये बिहार सरकार ने 26.2 लाख रुपया आवंटित किया इसमें भारत सरकार द्वारा 76 प्रतिशत अंशदान देय है जिसके हिसाब से भारत सरकार का हिस्सा 19 लाख रुपया होता है । इस मद में अबतक भारत सरकार ने बिहार सरकार को मात्र ग्यारह लाख रुपया मुक्त किया है । इस प्रकार भारत सरकार को ही 8 लाख रुपया अपने अन्नदान के रूप में देना बाकी है ।

(3) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि व्यावसायिक अनुदेशकों के कुल सृजित पद 444 है, जिनके विरुद्ध

विद्यालय सेवा बोर्ड से 338 नाम भेजे गये थे । सात अभ्यर्थी का नाम एक से ज्यादा व्यवसाय में भेजे गये थे और उनकी नियुक्ति किसी एक व्यवसाय में हुयी । इसलिए कुल 329 व्यक्तियों की नियुक्ति पत्र माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा वितरित किये गये ।

(4) कंडिका (2) में अंकित तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार से इस मद में प्राप्त राशि का विचलन नहीं हुआ है ।

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य प्रश्न दो विन्दू पर है, जो केन्द्र सरकार से राशि प्राप्ति है इसका क्या हुआ । आपने जो नियुक्ति किया अनुदेशकों का उनको वेतन कहाँ से दे रहे हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि 90-91 में केन्द्र सरकार ने 5 करोड़ 58 लाख रुपया की राशि दी थी । 40 विद्यालयों में कार्यशाला बनाने के लिये, उपकरण खरीदने के लिये । क्या यह बात सही है कि उस राशि को बिना खर्च किये सिविल डीपोजिट में जमा कर दिया गया है । यह अपना ओभर ड्राफ्ट पूरा करने के लिये हुआ ।

डा० रामचन्द्र पूर्वे : इनका प्रश्न यह था, अनुदेशकों का वेतन भुगतान के लिये । इसमें 26.50 लाख रूपया अभी केन्द्र सरकार को ही देना है, 11 लाख रुपया दिया है । जहाँ तक दूसरा सवाल इन्होंने किया है अध्यक्ष महोदय, इस पैसे का कहीं भी विचलन नहीं हुआ है । मतलब यह है कि 6 करोड़ 25 लाख प्राप्ति की बात की है, इससे हमलोगों ने 40 कार्यशाला का निर्माण किया है । 5.80 करोड़ रुपया जमा है ।

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह : किस हेड में जमा किया है, सिविल डिपाजिट में जमा कर ओभर ड्राफ्ट कम किया है ।

डा0 रामचन्द्र पूर्वे : हमने किसी बनियों के यहां जमा नहीं किया है । जब तक प्राक्कलन 108 विद्यालयों के कार्यशाला का नहीं बन जाता है पैसा रिलीज कैसे करेंगे ।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री असंसदीय बात कह रहे हैं । किसी बनिया के यहाँ नहीं है । क्या आप बनिया नहीं हैं ।

(व्यवधान)

डा० रामचन्द्र पूर्वे : 108 व्यवसायिक शिक्षा चल रहे हैं । शिक्षकों की नियुक्ति हो गयी, अनुदेशकों की नियुक्ति हो गयी । टोटल प्राक्कलन मांग कर हम जितनी राशि की आवश्यकता होगी हम रिलीज कर देंगे । और यह रिजर्भ मनी है ।

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह : यह राशि सिविल डिपोजिट में जमा है । यह लैप्स कर चुकी है । 90-91 की यह राशि थी । बहुत पहले बना लेना चाहिये था । दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि वयवसायिक शिक्षा में जो 75 प्रतिशत केन्द्र निधि है इसमें वेतन भुगतान की राशि केन्द्र सरकार देती है, 25 प्रतिशत राज्य सरकार देती है । क्या 25 प्रतिशत राशि इनका होना चाहिये वह राशि इन्होंने जमा कर दिया है ताकि केन्द्र सरकार से राशि मांग सकें ।

डा० रामचन्द्र पूर्वे : जितनी भी केन्द्र परायोजित योजनायें हैं उसका अनुदान बिहार सरकार का है, केन्द्र सरकार के पहले बिहार सरकार इस अंशदान को जमा करती है । केन्द्र सरकार का जो भी अनुदान है राज्य सरकार अपना अनुदान देगी । इसमें कहीं हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आयेगी ।

अध्यक्ष : शून्यकाल । माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग ।

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुए । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें दिनांक 27.7.1993 ई० को मेज पर रख दिये जाएँ ।